

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 4772/2026

Ramniwas S/o (Late) Sh. Megh Singh, Aged About 28 Years, R/o Village Sitapura, P.s. Bamanwas, Dist. Sawai Madhopur (Raj.) (Presently Confined In Sub Jail At Gangapur City).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Akshat Sharma

For Respondent(s) : Mr. Rajendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

06/05/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक-**11.03.2026** के विरुद्ध यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसे पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **66/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. में नियमित जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2025 को प्रत्याहृत किये जाने के आधार पर निरस्त किया गया था।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, वह दिनांक 05.04.2025 से अभिरक्षा में है। विचारण के दौरान प्रकरण में कुल 11 साक्षीगण के बयान हो चुके हैं। विचारण के दौरान साक्षीगण पी.ड. 1 महावीर, पी.ड. 8 विजय सिंह व पी.ड. 11 श्रीमती जनता के बयान लेखबद्ध हुए हैं, जिनके कथनों में तात्त्विक विरोधाभास है। उनका यह

भी तर्क है कि मृतका संतरा के मार्मिक अंग पर कोई चोट नहीं आई है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है, अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक व योग्य अधिवक्ता परिवादी ने जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त रामनिवास के विरुद्ध स्पष्ट तौर पर मृतका संतरा के साथ मारपीट किये जाने के आक्षेप हैं। प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण महावीर, विजय व श्रीमती जनता ने स्पष्ट तौर पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य दी है। उनका यह भी तर्क है कि इस स्तर पर साक्षीगण के कथनों का विश्लेषण एवं विवेचन सूक्ष्मता से किया जाना न्यायोचित व अनुमत नहीं है। अपराध की प्रकृति गंभीर है अतः प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया। अनुसंधान एवं विचारण के दौरान आयी साक्ष्य की प्रकृति व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रामनिवास पुत्र स्व. मेघा उर्फ मेघसिंह** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J